डीजी–परिपत्र संख्या–26 /2020

एच0सी0 अवस्थी
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
दिनांक : लखनऊ: अगस्त 14,2020

विषय:–हत्या जैसे जघन्य अपराधों के प्रभावी रोकथाम हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

विगत कुछ समय से यह देखने में आया है कि कतिपय जनपदों में हत्या/सामुहिक हत्या जैसी जघन्य घटनाऐं घटित हुई है, जो बहुत ही चिन्ता का विषय है। घटित अपराधों के कारणों का विश्लेषण करने पर सम्पत्ति, भूमि विवाद तथा विभिन्न प्रकार की प्रतिद्वन्दिताओं और तनाव से उत्पन्न विवाद/रंजिश के तथ्य प्रकाश में आये हैं।

ऐसे विवादों को चिन्हित कर उनका थाना स्तर पर निराकरण समय से किया गया होता तो कदाचित हत्या जैसे जघन्य घटनाओं को रोका जा सकता था। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी मुख्यालय स्तर से पार्श्वांकित विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उनका जनपदों द्वारा कड़ाई से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। कतिपय जनपदों में इस प्रकार की घटनाओं में वृद्वि होना इसका द्योतक है।

डीजी परिपत्र संख्या:-21/94 दिनांक 12.10.94
डीजी परिपत्र संख्या:-01/95 दिनांक 14.01.95
डीजी परिपत्र संख्या:-23/07 दिनांक 14.06.07
डीजी परिपत्र संख्या:-68/07 दिनांक 21.08.07
डीजी परिपत्र संख्या:-44/08 दिनांक 11.08.08

वर्तमान परिदृश्य से यह स्पष्ट होता है कि आप द्वारा मुख्यालय स्तर से प्रेषित परिपत्रों का गहराई से न तो परिशीलन किया गया और न ही परिपत्रों में लिखित निर्देशों का तत्परता से अनुपालन किया/कराया जा रहा है। हत्या, सामूहिक हत्या जैसे सनसनीखेज अपराधों की रोकथाम की दिशा में अधिक संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हुए सभी सम्भव उपाय किये जाएं एवं पूर्व में निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए निम्नांकित बिन्दुओं पर त्वरित कार्यवाही की जाए:–

- थाना प्रभारी द्वारा यह सुनिश्चित कराया जाए कि ग्राम/मोहल्ला अपराध रजिस्टर की प्रविष्टियां अध्यावधिक हैं और हल्का उपनिरीक्षक द्वारा अपने क्षेत्र के समस्त विवादों की निगरानी की जा रही है।
- थानास्तर पर ग्राम/मोहल्लों में प्रचलित अथवा उत्पन्न तनाव अथवा विवादों को हल्का उपनिरीक्षक/बीट आरक्षी द्वारा चिन्हित किया जाए।
- प्रत्येक हल्का उपनिरीक्षक द्वारा माह में कम से कम दो बार अपने हल्के के अन्तर्गत समस्त ग्राम/मोहल्लों का भ्रमण कर तनाव व विवाद के समस्त प्रकरणों का चिन्हांकन किया जाए। पूर्व में प्रचलित विवाद/तनाव की वर्तमान में क्या स्थिति है का अंकन ग्राम/मोहल्ला विवाद रजिस्टर में किया जाए। यदि कोई नया विवाद प्रकाश में आता है तो उसका भी अंकन कर सतत निगरानी की जाए।
- बीट आरक्षी की बीट बुक का थाना प्रभारी द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किया जाए एवं सुनिश्चित किया जाए कि बीट आरक्षी द्वारा अपनी बीट क्षेत्र की लाभप्रद सूचनाएं कमवार अंकित की जा रही है। बीट आरक्षी को सूचनाएं अंकित कराने हेतु प्रोत्साहित किया जाए।

- थाना प्रभारी द्वारा रजिस्टर न 8 के भाग–4 को अध्यावधिक रखा जाए। इस रजिस्टर की प्रविष्टियां थानाध्यक्ष द्वारा स्वयं अपने हस्तलेख में किया जाएं।
- भूमि विवाद के प्रकरणों में राजस्व कर्मियों के सहयोग से यथा सम्भव भूमि सम्बन्धी विवादों का निस्तारण कराया जाए।
- प्रत्येक थाने पर बीट उपनिरीक्षक के भ्रमण के सम्बन्ध में एक अभिलेख अलग से प्रचलित किया जाए जिसमें उपनिरीक्षक भ्रमण के परिप्रेक्ष्य में उल्लेखनीय तथ्यों को अतिसंक्षेप में इस अभिलेख में अंकित करेंगें। इस अभिलेख को थाना प्रभारी प्रत्येक दिन, सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी माह में 02 दिन तथा अपर पुलिस अधीक्षक माह में 01 बार अवश्य अवलोकित करेगें तथा अपनी टिप्पणी भी अंकित करेंगें।
- क्षेत्राधिकारीगण आकस्मिक तौर पर अपने क्षेत्र के किसी भी ग्राम/मोहल्ले का भ्रमण यह देखने के लिए कर सकते हैं कि निर्धारित भ्रमण कार्यक्रम के दौरान बीट उपनिरीक्षक चिन्हित ग्राम/मोहल्ले में पहुँचे हैं अथवा नहीं तथा अभिदिष्ट कार्य को पूर्ण निष्ठा के साथ कर रहें हैं।
- किसी भी विवादित प्रकरण के सम्बन्ध में की जाने वाली निरोधात्मक कार्यवाही यथा 151 द0प्र0सं0, 145 द0प्र0सं0 तथा लाइसेंसी शस्त्रों का निरस्तीकरण की कार्यवाही को परिणति तक पहुँचाने की प्रकिया का सूक्ष्म पर्यवेक्षण थाना प्रभारी तथा क्षेत्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। मात्र 107/116 दं0प्र0सं0 की रिपोर्ट प्रेषित कर देना अथवा शस्त्रों के लाइसेंस का निरस्तीकरण हेतु रिपोर्ट प्रेषित कर देना कर्तव्य की इतिश्री नहीं है वरन यह सुनिश्चित करना होगा कि 116(3) द0प्र0सं0 के अन्तर्गत पाबन्दी उचित परिणाम पर हो गयी है एवं शस्त्र निरस्त्रीकरण आदेश निर्गत होकर शस्त्र जमा कराने की कार्यवाही निर्गत हो गयी है।
- ऐसे दुर्दान्त अपराधी जिनका हत्या जैसे जघन्य अपराधों के प्रकरणों में बार–बार नामित किये गये हों अथवा प्रकाश में आये हों तो ऐसे अपराधियों की जमानत निरस्तीकरण कराकर जेल भेजा जाए और इनके प्रकरणों में मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कराकर कर दण्डित कराया जाए।
- प्रत्येक थाना क्षेत्र में पेशेवर हत्यारों व अवैध शस्त्र बनाने वालों को चिन्हित कर उनकी सतत निगरानी की जाए। प्रतिकूल गतिविधियां प्रकाश में आने पर तत्काल वैधानिक कार्यवाही की जाए।
- ऐसे प्रकरण जिसका सीधा सम्बन्ध अन्य विभागों यथा राजस्व, सिंचाई, वन विभाग आदि से होना पाया जाता है, में भी तत्कालिक उपाय करके ऐसे प्रकरणों की सूची बीट वार अविलम्ब क्षेत्राधिकारी/उपजिलाधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित विभाग को भेजकर त्वरित निराकरण कराया जाए तथा प्रकरणों को तब तक लम्बित एवं पर्यवेक्षण माना जाए तब तक विवाद का हल नी हो जाता है।
- जमीनी या अन्य विवाद रंजिश से सम्बन्धित कोई भी प्रार्थना पत्र किसी पक्ष द्वारा पुलिस कार्यालय, क्षेत्राधिकारी कार्यालय अथवा थाना स्तर पर प्राप्त होता है तो उस प्रार्थना पत्र की जांच की जाए व आवश्यक वरीयता पर कार्यवाही की जाए यदि किसी प्रार्थना पत्र में कार्यवाही लम्बित रहने की दशा में कोई घटना घटित होती है तो उसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी की तय करते हुए दण्डित किया जाए।

- राजपत्रित अधिकारियों द्वारा थाना भ्रमण के दौरान थाने पर प्रचलित शत्रुता एवं विवाद रजिस्टर, बीट रजिस्टर एवं रजिस्टर नं0–8 के भाग–4 का अवलोकन अवश्य किया जाए। तथा अधीनस्थों का उचित मार्गदर्शन अवश्य किया जाए।
- हत्या के जो प्रकरण मा0 न्यायालय में विचाराधीन हैं उन सभी प्रकरणों के वादी से सम्पर्क कर उनसे जानकारी कर अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा थाना प्रभारी उनका मोबाइन नं0 अवश्य रखें, आवश्यकतानुसार उन प्रकरणों के प्रतिवादी पक्ष के विरूद्व नियमानुसार निरोधात्मक/विधिक कार्यवाही सुनिशचित करें।
- परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक का यह उत्तरदायित्व होगा कि विवाद जनित हत्या के प्रकरणों में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रेषित की जाने वाली आख्या निर्धारित प्रारूप में तत्काल प्राप्त करें एवं स्वयं समीक्षा करते हुए सुनिश्चित करेंगें कि घटना के सम्बन्ध में समस्त निर्देशों का अनुपालन पूर्व में हुआ है अथवा नहीं यदि नहीं हुआ है तो लापरवाही हेतु अधिकारी/कर्मचारी का दोष निर्धारित करते हुए स्वयं अपेक्षित कार्यवाही करेंगें तथा अपर पुलिस महानिदेशक जोन के माध्यम से मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को भी अवगत करायेगें।
- परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक यह सुनिश्चित करेगें कि इस परिपत्र तथा इस विषय में पूर्व में निर्गत परिपत्रों से सभी सम्बन्धित पूर्ण रूप से भिज्ञ हो जाएं तथा परिपत्रों में दिये गये निर्देशों का पूर्ण निष्ठा से अनुपालन करेंगें।

आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक थाने पर बीट व्यवस्था सकिय कर रंजिश के सभी प्रकरणों को चिन्हित कर आवश्यक निरोधात्मक कार्यवाही समय से की जाए ताकि हत्या जैसी गम्भीर घटना घटित न होने पाये। परिपत्र में दिये गये निर्देशों को अपने अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी को अवगत करा दें कि दिये गये उपरोक्तांकित निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जाए। कृत कार्यवाही का अनुश्रवण प्रत्येक स्तर के पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाए और ऐसे प्रकरणों में शिथिल कार्यवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों को दण्डित भी किया जाए।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन यदि थाना स्तर पर गम्भीरता पूर्वक किया जायेगा तो हत्या जैसे जघन्य अपराधों पर अंकुश लगेगा।

भवदीय,

(एच0सी0 अवस्थी)

1. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था/अपराध उ0प्र0।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
4. पुलिस महानिरीक्षक, एसटीएफ, उ0प्र0।